दिनांक 28/10/2017 को अपराह्न 12:00 बजे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुरादाबाद की अध्यक्षता में आयोजित तम्बाकू नियंत्रण जनपद स्तरीय समन्वय समिति की प्रथम त्रैमासिक बैठक का कार्यवृत्त।

आज दिनांक 28/10/2017 को अपराह्न 12:00 बजे कलैक्ट्रेट सभागार, मुरादाबाद में तम्बाकू नियंत्रण जनपद स्तरीय समन्वय समिति की प्रथम त्रैमासिक बैठक मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में निम्न सदस्यों द्वारा भाग लिया गया –

1.	डा.विनीता अग्निहोत्री	मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुरादाबाद
2.	श्री आशीष श्रीवास्तव	अपर पुलिस अधीक्षक नगर
3.	डा. रंजन गौतम	नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम मुरादाबाद
4.	श्री वी.पी. सिंह	श्रम विभाग
5.	श्री सुनील कुमार	खाद्य एवं औषधि विभाग
6.	डा. श्याम सिंह	हिन्दू कॉलेज
7.	श्री विकास कान्त गुप्ता	जिला समन्वयक शिक्षा विभाग
8.	श्री रमा शंकर	जी.एस.टी. विभाग
9.	श्री जगदीश यादव	नगर निगम
10.	श्री श्रीनाथ पासवान	जिला उद्योग विभाग
11.	श्री भूपेन्द्र कुमार	सुचना विभाग

सर्व प्रथम डा. रंजन गौतम, नोडल अधिकारी, एन.टी.सी.पी. मुरादाबाद द्वारा मीटिंग में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। डा. रंजन गौतम द्वारा पूर्व में किये गए कार्यो की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। डा. प्रशांत राजपूत जनपद सलाहकार जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम मुरादाबाद द्वारा COTPA अधिनियम 2003 के बारे में पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से समिति के मौजूदा सदस्यों को अवगत कराया।

इस दौरान शिक्षा विभाग से आये श्री विकास कान्त गुप्ता ने आश्वासन दिया की वह जिला विद्यालय निरीक्षक से बात करने के पश्चात उनके विभाग द्वारा सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों को आदेशित किया जायेगा के वह अपने स्कूल के मुख्य द्वार पर एक 30X60 c.m. का एक बोर्ड लगवायेंगे जिसमें अंग्रेजी और हिंदी में लिखा होगा "यह एक तंबाकू मुक्त संस्थान है यहाँ तम्बाकू का सेवन करने पर 200 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है" इसके साथ ही एक अन्य बोर्ड भी लगवाना होगा जिसपर लिखा होगा की "इस शैक्षिक संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी तरह का तम्बाकू उत्पाद बेचना अपराध है।" वाणिज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर श्री रमा शंकर जी ने बताया की उनका विभाग गैर कानूनी तम्बाकू के बिक्री पर लगाम लगाने के लिए भी कार्य करेगा। खाद्य एवं औषधि विभाग के मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री सुनील कुमार ने आश्वासन दिया के उनका विभाग कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 5 व 7 का उलन्घन करने वाले विक्रेता या व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करेगा।

अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री आशीष श्रीवास्तव ने बताया के उनके विभाग द्वारा अधिनियम 2003 के अंतर्गत प्रवर्तन व छापेमारी के लिए पुलिस बल एक दिन पूर्व सूचना देने पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।

डा. विनीता अग्निहोत्री मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुरादाबाद ने अवगत कराया की समय–समय पर स्वास्थ्य विभाग की और से भी अधिनियम के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।

डा. रंजन गौतम, नोडल अधिकारी एन.टी.सी.पी., मुरादाबाद द्वारा तम्बाकू नियंत्रण जनपद स्तरीय समन्वय समिति के सभी सदस्यों को चालान बुक एवं रसीद बुक उपलब्ध कराई गई जिससे सभी अधिकारी जुरमाना वसूल कर उपलब्ध कराये गए खाते में जमा कर हर महीने की 5 तारीख तक उसकी रिपोर्ट जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ मुरादाबाद को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अंत में डा. रंजन गौतम, नोडल अधिकारी एन.टी.सी.पी., मुरादाबाद द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदया की आज्ञा से बैठक को समाप्त किया।

नोडल अधिकारी
एन.टी.सी.पी.
मुरादाबाद

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
मुरादाबाद